भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-409

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

एफजीडी यूनिटों की संस्थापना

***409. श्री संजय जाधव:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों को फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन (एफजीडी) यूनिट लगाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निजी विद्युत उत्पादकों की स्थिति क्या है जो मेगावाट क्षमता वाली एफजीडी यूनिट लगा रहे हैं;

(ग) विभिन्न बोली लगाने वालों को प्रदत्त समस्त कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा एफजीडी यूनिटें लगाने हेतु सिविल, यांत्रिक एवं वैद्युत कार्यों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि निजी विद्युत उत्पादक लागत संबंधी प्रभावों के कारण एफजीडी यूनिटें लगाने से बच रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"एफजीडी यूनिटों की संस्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 409 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ङ) : निजी स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) सहित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित, सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जनों और समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए निर्देशों, सहित उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने टीपीपीज द्वारा चुने गए SO_2 उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण/प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए हैं।

सीईए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी की संस्थापना की प्रगति की निगरानी में सीपीसीबी की सहायता करता है। सीईए एफजीडी उपकरणों की संस्थापना के लिए टीपीपीज द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करता है। एफजीडी संस्थापना के सभी स्तरों, शुरू किया गया व्यवहार्यता अध्ययन, पूरे किए गए व्यवहार्यता अध्ययन, बनाए गए निविदा विनिर्देश, जारी किए गए एनआईटी, अवार्ड की गई बोलियां और कमीशन किए गए एफजीडी की निगरानी की जाती है। आईपीपीज के संबंध में वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालना के लिए टीपीपीज के लिए निम्नलिखित दंड प्रावधान प्रदान किए गए हैं:

श्रेणी और विवरण	**अनुपालन के लिए समय-सीमा**	**समय-सीमा से परे गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरण मुआवजा (रुपये प्रति यूनिट विद्युत उत्पन्न)**		
		0-180 दिन	181-365 दिन	366 दिन और उससे आगे
श्रेणी क - एनसीआर के 10 किमी के दायरे में या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर।	31.12.2022 तक	0.10	0.15	0.20
श्रेणी ख - सीपीसीबी द्वारा परिभाषित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में।	31.12.2023 तक	0.07	0.10	0.15
श्रेणी ग - श्रेणी क और ख में शामिल शहरों के अलावा अन्य।	31.12.2024 तक	0.05	0.075	0.10

****

अनुबंध

"एफजीडी यूनिटों की संस्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निजी क्षेत्र

श्रेणी	एफजीडी स्थिति	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
क	अवार्ड की गई निविदा	2	240
	खोली गई निविदा	3	362
	शुरू नहीं किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	2	540
	पूरा हुआ व्यवहार्यता अध्ययन	4	1175
	संस्थापित एफजीडी	4	2070
	नए रूप से आरंभ किया गया	1	12
	एनआईटी जारी किया गया	3	750
	प्रस्तुत नहीं की गई योजना	4	240
क कुल		**23**	**5389**
ख	अवार्ड की गई निविदा	2	600
	खोली गई निविदा	3	1050
	सीएफबीसी	2	300
	शुरू किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	2	300
	पूरा हुआ व्यवहार्यता अध्ययन	2	1200
	एनआईटी जारी किया गया	4	1200
	बनाए गए निविदा विनिर्देश	2	1200
ख कुल		**17**	**5850**
ग	अवार्ड की गई निविदा	25	15040
	खोली गई निविदा	21	10890
	सीएफबीसी	37	3699
	SO_2 के अनुरूप होने का दावा	11	2525
	शुरू नहीं किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	2	1370
	शुरू किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	8	2780
	पूरा हुआ व्यवहार्यता अध्ययन	9	3780
	संस्थापित एफजीडी	11	4880
	नए रूप से आरंभ किया गया	3	1005
	एनआईटी जारी किया गया	30	13840
	प्रस्तुत नहीं की गई योजना	4	855
	प्रस्तुत की गई योजना	2	500
	बनाए गए निविदा विनिर्देश	7	3600
ग कुल		**170**	**64764**
कुल योग		**210**	**76003**

****